

उत्तर प्रदेश विधि (नयी दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1963¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1963]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 अप्रैल, 1963 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 सितम्बर, 1963 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 3 अक्टूबर, 1963 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 4 अक्टूबर, 1963 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश की कतिपय विधियों में, नयी दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (नयी दाशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1963 कहलायेगा ।

संक्षिप्त
शीर्षनाम

2—इस अधिनियम की अनुसूची के चौथे स्तम्भ में उल्लिखित अधिनियम उक्त अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में उल्लिखित मात्रा में और रीति से संशोधित की जाती है ।

उत्तर प्रदेश
अधिनियमों
का संशोधन

अनुसूची (धारा 2)

क्रम—संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1	1856	12	सिविल कोर्ट्स अमीन्स ऐक्ट, 1856	धारा 9 में शब्द “one anna” के स्थान पर शब्द “six naye paise” रख दिये जायें ।
2	1914	2	यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914	ऐक्ट की धारा 14 की उपधारा (1) में — (1) खण्ड (ए) में शब्द “one anna” और शब्द “three annas” के स्थान पर क्रमशः शब्द “six naye paise” और शब्द “nineteen naye paise” रख दिये जाये । (2) खण्ड (बी) में शब्द “six pies” के स्थान पर शब्द “three naya paise” रख दिये जाये ।

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उ० प्र० असाधारण गजट दिनांक 6 अप्रैल, 1963 देखिये ।

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
1	2	3	4	5
				(3) खण्ड (सौ) में शब्द “one anna and three” pies” के स्थान पर शब्द “eight naye paise” रख दिये जाये ।
3	1916	2	यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916	ऐक्ट की अनुसूची (Schedule) 5 में शब्द तथा “Rs. a. p.” के स्थान पर शब्द तथा अक्षर “Rs. n.p.” रख दिये जायें ।
4	1922	10	यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922	(1) धारा 109 में जहां भी शब्द “three annas and nine pies” आए हों उनके स्थान पर शब्द “twenty three naye paise” रख दिये जायें । (2) धारा III की उपधारा (1) में शब्द “pies” के स्थान पर शब्द “naye paise” रख दिये जायें । (3) धारा 112 में — (क) शब्द “number of pies” और शब्द “payable under section” के बीच में शब्द “or naye paise” बढ़ा दिये जायें ; (ख) खंड (एक) में और तत्पश्चात् जहां भी शब्द “pies” आया हो उसके स्थान पर शब्द “naye paise” रख दिये जायें ; और (ग) शब्द “three quarters of a pie” के स्थान पर शब्द और अंक “25/64 naye paise” रख दिये जायें ; और (4) धारा 114 के खंड (सी) में शब्द “four pies” के स्थान पर शब्द “two naye paise” रख दिये जायें ।
5	1947	23	यू० पी० मोलैसेज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1947	धारा 5 की उपधारा (3) में — (1) सूत्र में अंक तथा अक्षर “42/23x” के स्थान पर अंक तथा अक्षर “22/144x” रख दिये जायें ।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
1	2	3	4	5
				(2) शब्द “annas” के स्थान पर शब्द “naye paise” रख दिये जायें ।
				(3) शब्द “pies” के स्थान पर शब्द “naye paise” रख दिये जायें ।
6	1947	26	यू0 पी0 पंचायतराज ऐक्ट, 1947	धारा 37 की उपधारा (1) खंड (ए) और (बी) में जहां भी शब्द “one anna” आयें हों उनके स्थान पर शब्द “six naye paise” रख दिये जायें ।
7	1952	33	उ0 प्र0 इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी अधिनियम, 1952	धारा 3 में — (1) द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड में जहां भी अंक तथा शब्द “छः आना” आयें हों उनके स्थान पर शब्द “सैंतीस नये पैसे रख दिये जायें, और (2) चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द “एक आना” के स्थान पर शब्द “छः नये पैसे” रख दिये जायें ।
8	1934	27	यू0 पी0 एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, 1934	(1) अनुसूची 5 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ;

SCHEDULE V

Scale mentioned in section 40

Amount or value of the bond	Stamp duty	Registration fee	copying fee
1	2	3	4
	Rs. n.P.	Rs. n.P.	Rs. n.P.
Where the amount or value secured does not exceed Rs. 50	0.06	0.06	0.19
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100	0.12	0.12	0.19
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200	0.25	0.25	0.28
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300	0.37	0.37	0.37
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400	0.50	0.50	0.50

Amount or value of the bond	Stamp duty	Registration fee	copying fee
1	2	3	4
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500	0.75	0.75	0.62
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600	1.62	2.25	0.75
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700	2.00	2.25	0.75
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800	2.37	2.25	0.75
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900	2.75	2.25	0.75
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1000	3.12	2.25	0.75
For every Rs. 250 or part of Rs. 250 above Rs. 1,000 and up to Rs. 3,000.	1.00	0.25	0.02

(2) अनुसूची 6 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जायें : —

Schedule VI

Schedule of court fees payable on a plaint under section 33 —	Rs. n.p.
If the principal amount of loan is less than Rs. 100	2.00
If the principal amount of loan is not less than Rs. 100 but is less than Rs. 250.	5.00
If the principal amount of loan is not less than Rs. 250 but is less than Rs. 500.	7.50
If the principal amount of loan is not less than Rs. 500 but is less than Rs. 1,000.	10.00
If the principal amount of loan is Rs. 1,000 or above	15.00